न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र. न्यायाधीश प्रथम, जहानाबाद
विशेष एस.सी./एस.टी. वाद संख्या – 153/2025
एस.सी./एस.टी. अरवल थाना काण्ड संख्या –10/2025
सरकार बनाम् अखिलेश कुमार वगैरह

26.11.2025 अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। आवेदक चन्देश्वर यादव की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन दिनांक 31.10.2025 अन्तर्गत धारा 250 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023(जिसे आगे भा0ना0सु0 सं0 से संबोधित किया गया है) में अभियुक्त को उन्मोचित किये जाने के संबंध में दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक को प्राप्त कराई गयी है। अभियुक्त मण्डल कारा, जहानाबाद से न्यायालय में उपस्थित है।

आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त पर अपराध कारित किए जाने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है और अपराध कारित किए जाने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि कांड दैनिकी के साक्षियों ने अभियुक्त के नाम का खुलासा नहीं किया है तथा अभियोजन कथानक में गंभीर विसंगतियॉ है। अन्त में उनके द्वारा अभियुक्त को उन्मोचित किए जाने का निवेदन किया गया।

जबकि राज्य की ओर से प्रभारी विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि अभियुक्त की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 31.10.2025 कानून एवं तथ्यों के दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं है। आगे कहा गया कि प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी के पारा 16 व 17 में साक्षियों का बयान एवं पारा 30 में अभियुक्त के स्वीकारोक्ती बयान से अभियुक्त के विरूद्ध आरोप गठित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। अन्त में उनके द्वारा अभियुक्त की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 31.10. 2025 को खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों को सुना गया तथा अभिलेख संलग्न कांड दैनिकी का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

यहॉ पर भा0ना0सु0सं0 की धारा 250 का उल्लेख किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। धारा 250 उन्मोचन के संबंध में उल्लेख करती है।

इस धारा के अनुसार, 1. अभियुक्त, धारा 232 के अधीन वाद की सुपुर्दगी की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकेगा।

2. यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर, और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात् न्यायाधीश यह समझाता है कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।

Web Copy, Civil Court Jehanabad.

प्रस्तुत मामले में संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि सूचक अजय पासवान के द्वारा एक लिखित आवेदन इस आशय का दिया गया कि उसका पुत्र अमन कुमार दिनांक 10.07.2025 को संध्या 07 बजे पुलिस की तैयारी

26.11.2025 के संबंध में दौड़कर वापस आ रहा था तभी फकरपुर टॉड़ी सूर्य मन्दिर के पास पहुॅचा तो बबलु पान दुकानदार ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि तुॅ नीच जाति का होकर नौकरी करेगा और कई अपशब्द का इस्तेमाल करने लगा, और पवन कुमार, ओम प्रकार, जय प्रकाश व अजय कुमार उसके पुत्र के साथ गाली–गलौज करते हुए मारपीट करने लगे तथा अमन कुमार को बुरी तरह से घायल कर दिए। मारपीट की बातें सुनकर जब वह घर के अन्य सदस्यों के साथ घटनास्थल पर पहुॅचा तो पवन कुमार सुरेश यादव के छत से गाड़ी उठाने वाला जेक उसके पुत्र अमन कुमार के सर पर फेंक दिया जिससे अमन कुमार का सर जख्मी हो गया। चन्द्रशेखर यादव तथा अन्य लोग जो कि अपने हांथो में लाठी डंडा लिये हुए थे तथा ये दोनों भी जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर रहे थे तथा कह रहे थे कि साले को आज जान से मार दों हम कोर्ट कचहरी देख लेंगे। अखिलेश कुमार ने अमन के गले से सोने के लॉकेट निकाल लिया तथा हमलोगों के घटनास्थल पर पहुॅचने पर सारे लोग भाग गया। हमलोग अपने घायल पुत्र को सदर अस्पताल लेकर गए जहॉ से उसे पटना रेफर कर दिया गया।

इस मामले में सूचक के दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर अरवल एस0सी0/एस0टी0 थाना कांड संख्या 10/2025, अन्तर्गत धारा 126 (2), 191(2), 191(3), 190, 115(2), 118(1), 352, 351(2) भा0न्या0सं0, 2023 व 3(1)(r)(s)/3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में अभियुक्तगण अखिलेश कुमार चन्द्रेश्वर यादव, बबलु पान का दुकानदार, ओम प्रकाश, पवन कुमार, जय प्रकाश के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। इस मामले में अनुसंधान के क्रम में इस मामले के जख्मी अमन कुमार की मृत्यु हो जाने के कारण धारा 103 भा0न्या0सं0 की बढ़ोतरी की गई। अनुसंधान के उपरान्त अनुसंधानकर्ता द्वारा अन्य अभिक्तगण के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए, इस कांड के प्राथमिक अभियुक्त चन्देश्वर यादव के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 103(1)/3(5) भा0न्या0सं0 व 3(1)(r)(s)/3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में आरोप पत्र समर्पित किया गया। अग्रेत्तर, कांड दैनिकी के कण्डिका 9, 10, 16, 17 व 30 के परिशीलन से पाता हूॅ कि इन साक्षियों ने अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का पूर्णतः समर्थन किया है। जिससे अभियुक्त की अपराध कारित किए जाने में सलिप्तता दर्शित हो रही है। मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण "C/R Failure de to asphysia after presure on neck lead shock and death" होना उल्लेखित है।

इस प्रकार, उपरोक्त सभी तथ्यों से कांड दैनिकी में अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य का होना दर्शित हो रहा है। बचाव पक्ष द्वारा जिन तथ्यों का आधार बनाकर उन्मोचन का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उन आधरों का पर्याप्त होना दर्शित नहीं हो रहा है।

Web Copy, Civil Court Jehanabad

स्टेट ऑफ एम0पी0 बनाम् मोहन लाल सोनी, 2000 क्रि0लॉ0ज0 3504 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभिनिर्धारित किया है कि न्यायिक दृष्टिकोण स्पष्ट है कि आरोप विरचित करने के स्तर पर न्यायालय को केवल प्रथमदृष्टया यह विचार करना होता है कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है। इस स्तर पर न्यायालय को यह विवेचन करने की आवश्यकता

26.11.2025 नहीं होती कि प्रस्तुत सामग्री अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं।

इसी प्रकार, **शिवराज सिंह अहलावत बनाम् स्टेट ऑफ यू.पी. 2013(1) जे0/सी0 290 एस0सी0** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभिनिर्धारित किया है कि यह एक स्थापित सिद्धान्त है कि आरोप विरचित करने के स्तर पर न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करना होता है, ताकि यह देखा जा सके कि सतही रूप से लिए जाने पर उपलब्ध तथ्यों से क्या यह प्रतीत होता है कि कथित अपराध के सभी आवश्यक तत्व मौजूद है। इस चरण पर न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती वह साक्ष्यों के गुण–दोष या उनकी प्रबलता में गहराई से जाए। न्यायालय को केवल यह विचार करना होता है कि क्या ऐसा आधार मौजूद है जिससे यह माना जा सकें कि अपराध किया गया है न कि यह कि अभियुक्त को दोषी ठहराने लायक पूरा मामला सिद्ध हो चुका है। इस स्तर पर, यदि सामग्री के आधार पर मजबूत संदेह भी उत्पन्न होता है, जो न्यायालय को यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त हो कि कथित अपराध के आवश्यक तथ्य मौजूद है, तो आरोप विरचित किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त चन्द्रेश्वर यादव के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने का प्रथमदृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध होना दर्शित हो रहा है। अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 31.10.2025 को खारिज किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त अगली नियत तिथि 09.12.2025 को वास्ते आरोप गठन हेतु।

(लेखपित एवं संशोधित)

(अरूण कुमार शर्मा)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम
–सह–
विशेष न्यायाधीश; अनु.जा./अनु.जन.जा.
जहानाबाद।

Web Copy, Civil Court Jehanabad.